फोन (O)0135-2676260
फैक्स :0135-2676177
ईमेल :secyadm-js-ua@nic.in

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल भवन, बी–ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून

पत्रांकः 10152/ **Call Before U Dig** / 2022–23 दिनांकः 24/02/2023

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
....।

जलकल अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
विकासनगर / ऋषिकेश।

विषयः **Call Before U Dig (CbuD) Mobile App के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 9815 दिनांक 09.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपको Call Before U Dig (CBuD) Mobile App पर उपखण्ड (Level 4) का रजिस्ट्रेशन करने हेतु लिखा गया था। तत्सम्बन्ध में उप महानिदेशक, दूरसंचार विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग द्वारा Level 4 user में केवल एक ही रजिस्ट्रेशन किया गया है।

अवगत कराना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 22.03.2023 को Call Before U Dig (CBuD) Mobile App को Launch किया जाना है। तत्सम्बन्ध में Agenda for CBuD meeting संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि App को प्रयोग किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 सी.जी.डी.एल.अ.–03012023–241640 दिनांक 03.01.2023 जारी की गई है जो कि पूर्व में आपको ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की गई है। अधिसूचना के अनुसार भविष्य में किसी सपंत्ति की खुदाई या उत्खनन की सूचना CbuD App पर प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगी। दूरसंचार विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि भविष्य में App पर बिना सूचना प्रेषित कर खुदाई या उत्खनन का कार्य करना या गलत सूचना प्रेषित करना दण्डनीय अपराध होगा। इसके अतिरिक्त App का प्रयोग किये जाने हेतु आपके क्षेत्रान्तर्गत कार्यदायी ठेकेदार / फर्मों को भी CbuD App पर Excavator के रूप में भी रजिस्टर्ड किया जाना है।

उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने के निर्देश प्राप्त हैं कि कृपया दिनांक 25.02.2023 से पूर्व Level 4 का रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें। साथ ही अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यदायी फर्मों को भी App का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें तथा भविष्य में खुदाई या उत्खनन के कार्या के लिए App का प्रयोग करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

सचिव (प्रशासन)
10/2/23

पृ.सं. एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी / पिथौरागढ़ / नैनीताल / मुख्यालय / टी0आर0एम0, देहरादून।
3. सचिव (अप्रैजल), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ...।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।

सचिव (प्रशासन)
(01) 2